राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप–5)विभाग

क्रमांकः प.1(47)साप्र/ग्रुप–5/2014 जयपुर, दिनांकः 03.09.2014

प्रबन्धक,
समस्त विश्राम भवन,
राजस्थान ।

विषयः– विषयः– अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्धारित अवधि से अधिक अवधि के लिए सर्किट हाउस/डाक बंगले में निवास की अनुमति बाबत् ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तगर्त निर्देशानुसार लेख है कि भामाशाह योजना के अन्तर्गत कार्य करने वाले पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्धारित अवधि से अधिक अवधि तक विश्राम भवनों में प्रवास करने पर आवास/भोजनादि की सुविधा राजकीय केटेगरी अ–i (ग्रुप–ए) की दर पर विश्राम भवन नियमावली में शिथिलन प्रदान करते हुए उपलब्ध कराई जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है ।

भवदीय,

03/09/14

(मुन्नालाल शर्मा)
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशेषाधिकारी(एस) मुख्यमंत्री कार्यालय को उनके आई.डी.क्रमांक 14007114 दिनांक 03.9.2014 के क्रम में
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान को उनके आई.डी.क्रमांक 4807 दिनांक 28.8.14 के क्रम में ।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग को उनके अशा0टीप दिनांक 21.8.14 के क्रम में ।.
4. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान ।
5. रक्षित पत्रावली ।

सहायक शासन सचिव 03/09/14

ROOM NO. 1124, MAIN BUILDING, GOVT. SECRETARIAT, JAIPUR-302005
JOINT SECRETARY TEL NO (O) : 0141-2227874(M)94140-85447
ASSISTANT SECRETARY (M) :94140-43554 (F) 0141-5116626/2227958
WEBSITE – www.gad.rajasthan.gov.in email – mlsharma.gad@rajasthan.gov.in

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांकः प. 4(1)साप्र/5/14 जयपुर, दिनांकः 03.09.2014

आज्ञा

ट्रांजिट होस्टल, गांधीनगर, जयपुर का आंवटन इस विभाग के दिशा–निर्देश संख्या एफ. 7(2)साप्र/5/06 दिनांक 27.10.06 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित आवास एक वर्ष की अवधि के लिए या नियमित आवास उपलब्ध होने तक जो भी पूर्व हो, तक के लिए निम्नांकित शर्तों पर अस्थाई रूप से आवंटित किया जाता है :–

1. आवंटित आवास अस्थाई आवास है, जिसका कब्जा एक सप्ताह/रिक्त होने के एक सप्ताह में प्राप्त करना होगा।
2. संबंधित अधिकारी को नियमानुसार किराया भत्ता देय नहीं होगा ।
3. संबंधित अधिकारी से आवास के पेटे नियमानुसार किराया राशि अग्रिम वसूली प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर द्वारा की जावेगी।
4. संबंधित अधिकारी के विरूद्ध ट्रांजिट होस्टल, जयपुर की पूर्व की कोई राशि बकाया हो तो कब्जा देने से पूर्व वसूल कर ली जावें ।
5. ट्रांजिट होस्टल के आवास में रहने वाले प्रत्येक अधिकारी को मूल वेतन का प्रमाण–पत्र प्रबन्धक, ट्रांजिट होस्टल को प्रस्तुत करना होगा ।
6. स्थानान्तरण/सेवानिवृति की सूचना संबंधित अधिकारी द्वारा प्रबन्धक ट्रांजिट होस्टल, जयपुर को तुरन्त दी जाएगी तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह में आवास रिक्त करना होगा।
7. समय–समय पर इस विभाग द्वारा निर्धारित अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

क्रमांक	अधिकारी का नाम	वरीयता संख्या	ग्रेड पे	आंवटित आवास संख्या
1	श्री बी.एल. भाटी, अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।	01/2014	6800/-	जी–2/1, एन.टी.एच.
2	डॉ. मनोज कुमार, असि. प्रोफेसर सर्जरी, एस.एम.एस. अस्पताल, जयपुर।	05/2014	6600/-	जी–1/4, एन.टी.एच.
3	डॉ. विजयपाल सिंह, चिकित्सा अधिकारी, सर्जरी विभाग, एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर।	36/2013	5400/-	क्वार्टर–5, ओ.टी.एच.(क्वार्टर–12, ओटीएच के स्थान पर परिवर्तन)
4	श्रीमती लक्ष्मी यादव, कृषि अधिकारी, कृषि विभाग, जयपुर।	37/2013	5400/-	क्वार्टर–6, ओ.टी.एच.(क्वार्टर–14, ओटीएच के स्थान पर परिवर्तन)
5	डॉ. राजीव कुमार प्रजापति, चिकित्सा अधिकारी, निःश्चेतन विभाग, एस.एम.एस अस्पताल, जयपुर।	39/2013	5400/-	क्वार्टर–12, ओ.टी.एच.
6	डॉ. बृजेश टटवाल, चिकित्सा अधिकारी, फोरेन्सिक मेडिसन विभाग, एस.एम.एस अस्पताल, जयपुर।	40/2013	5400/-	क्वार्टर–14, ओ.टी.एच.
7	डॉ. आनन्द प्रकाश, चिकित्सा अधिकारी, अस्थि रोग विभाग, एस.एम.एस अस्पताल, जयपुर।	41/2013	5400/-	क्वार्टर–10, ओ.टी.एच
8	डॉ. सुभाष बिलोनियो, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक चिकित्सा विभाग, एस.एम.एस अस्पताल, जयपुर।	42/2013	5400/-	क्वार्टर–17, ओ.टी.एच.
9	डॉ. मनोज कुमार शर्मा, चिकित्सा अधिकारी, फोरेन्सिक मेडिसन विभाग, एस.एम.एस अस्पताल, जयपुर।	43/2013	5400/-	क्वार्टर–18, ओ.टी.एच.
10	डॉ. हरीराम, चिकित्सा अधिकारी, गणगौरी अस्पताल, जयपुर।	44/2013	5400/-	एफ–4/4, ओ.टी.एच.

राज्यपाल की आज्ञा से

मु. शर्मा
03/09/14

(मुन्नालाल शर्मा)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित अधिकारी को भेजकर लेख है कि उनको आवंटित आवास का कब्जा एक सप्ताह तक प्राप्त कर विभाग को अवगत करावें । निर्धारित तिथि के पश्चात् रिक्त आवास को अन्य प्रतीक्षारत अधिकारी को आवंटित कर दिया जायेगा।
2. प्रबन्धक, ट्रांजिट होस्टल, जयपुर-- कृपया आवास का कब्जा देने से पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करें कि आवंटी आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से अब तक उनके विभाग में जयपुर में ही पदस्थापित है।।
3. संबंधित विभागाध्यक्ष।
4. कोषाधिकारी, सचिवालय/कोषाधिकारी, शहर, जयपुर।
5. सहायक शासन सचिव, सा0 प्र0(ग्रुप-2)विभाग आंवटी को वरियतानुसार नियमित आवास आवंटित करवाकर अवगत करावें।
6. सहायक प्रोग्रामर, सा.प्र.वि. कृपया आवंटन पत्र एवं वरीयता सूची वेबसाइट पर डालें।
7. रक्षित पत्रावली ।

शासन सहायक सचिव 03/09/14